

धर्मशाला-176215

21 अप्रैल, 2021

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति महोदय के आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं. 17 के उपवाक्य संख्या (7) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रो. मोहिंदर सिंह, अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल को इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक प्रोवोस्ट नियुक्त किया जाता है।

प्रो. मोहिंदर सिंह, प्रोवोस्ट अध्यादेश सं. 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार अपने कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगे।

प्रो. मोहिंदर सिंह, प्रोवोस्ट को नियमानुसार मानदेय व भत्ते की पात्रता होगी।



(हेम राज)

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. मानद निदेशक, हि.प्र.के.वि., सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा।
2. समन्वयक, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा।
3. विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
5. विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न अध्ययन पीठों के सभी चेयर प्रोफेसरगण।
6. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धौलाधार परिसर, धर्मशाला।
7. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला।
8. विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
9. विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
10. उप पुस्तकालय अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा।
11. पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रो. एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय, सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा।
12. निदेशक, कंप्यूटर सेंटर, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
13. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अद्यतन करने एवं उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
14. जनसंपर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
15. प्रो. बी.सी. चौहान, पूर्व प्रोवोस्ट, हि.प्र.के.वि., टैब, शाहपुर को सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु।
16. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के निजी सचिव- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
17. संबंधित व्यक्ति एवं उसकी व्यक्तिगत फाईल।



कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)